न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आईएएस0

प्रकरण संख्या - 17/2026 (Bank Case)

GCMS NO. - 2026/46

बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच कार्यालय- स्टेशन रोड, प्रथम तल, पुखराज टॉवर, कोटा (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी गायत्री देवी।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रदीप मीणा पुत्र श्री हीरा लाल मीणा –(ऋणी / बंधककर्ता)
   पता- तालाब गांव, अनन्तपुरा उर्फ फूटातालाब, कोटा (राज0) 324005

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 25 .02.2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ऑफ बडौदा ब्रांच कार्यालय– स्टेशन रोड, प्रथम तल, पुखराज टॉवर, कोटा (राज.) में स्थित है। अप्रार्थी ने दिनांक 15.12.2023 को बडौदा कार ऋण खाता संख्या 42660600003634 में रूपये 10,57,818/– (अक्षरे: रूपये दस लाख सत्तावन हजार आठ सौ अठारह मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे श्री प्रदीप मीणा पुत्र श्री हीरा लाल मीणा की सम्पत्ति/वाहन कार **Scorpio Classic** जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर **RJ–20–यूबी–4887**, इंजन नम्बर– **YSP4L40527** चैसिस नम्बर– **MA1TA2YS2P2L43546** हैं, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 08.10.2025 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के ऋण खाते मे रू. 8,96,936.19/– (अक्षरे आठ लाख छियानवें हजार नो सौ छत्तीस रूपये व उन्नीस पैसे मात्र) दिनांक 06.10.2025 तक बकाया रकम शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 10.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को सुना गया। प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी दिनांक 10.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 10.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधक **श्री प्रदीप मीणा पुत्र श्री हीरा लाल मीणा की सम्पत्ति**/वाहन कार **Scorpio Classic** जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर **RJ**–20–यूबी–4887, इंजन नम्बर– **YSP4L40527** चैसिस नम्बर– **MA1TA2YS2P2L43546** है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक 25 .02.2026 को सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)